न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंधव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 818/दावा/2019
दायरा दि0 16/04/2019

उनवान

1. जानकीबाई पुत्री अमरा पत्नि रामप्रताप जाति नाई निवासी धूलेट तह0 कनवास हा0मु0 मालनवासा तह0 खानपुर
2. समझबाई पुत्री अमरा पत्नि भंवरलाल जाति नाई नि0 धूलेट तह0 कनवास जिला कोटा
3. मंजूबाई पुत्री अमरा पत्नि राजेंद्रप्रसाद जाति नाई निवासी धूलेट तह0 कनवास हा0मु0 केशवपुरा कोटा

— वादीगण

बनाम्

1. दुर्गाशंकर पुत्र अमरा जाति नाई निवासी धूलेट तह0 कनवांस जिला कोटा
2. रामकुंवार पुत्र अमरा जाति नाई निवासी धूलेट तह0 कनवांस जिला कोटा
3. रामेश्वर पुत्र अमरा जाति नाई निवासी धूलेट तह0 कनवांस जिला कोटा
4. बद्रीबाई पुत्र अमरा पत्नि मांगीलाल जाति नाई निवासी धूलेट तह0 कनवांस हा0मु0 गणेश मंदिर के पास खानपुर तह0 खानपुर जिला झालावाड़
5. धापूबाई पुत्र अमरा पत्नि रामगोपाल जाति नाई निवासी धूलेट तह0 कनवांस हा0मु0 पनवाड तह0 खानपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री चतुर्भुज चौधरी अधिवक्ता – वादी
श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 29/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चलेट की जमाबंदी सं0 2071–74 की खाता सं0 63 की ख0नं0 302 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 436 की 5.00 बीघा कुल 2 किता रकबा 5.10 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की है। अमरा की मृत्यु के बाद ग्राम चलेट में नामा0सं0 379 दर्ज किया गया जिसमें वादी नं0 1 जानकीबाई का नाम ज्यानाबाई, वादी नं0 2 समझबाई का नाम केसर दर्ज किया गया है जो गलत है तथा वादी नं0 3 मंजूबाई का नाम तो दर्ज ही नहीं किया गया है। खातेदार अमरा का फौती नामा0 सं0 167 ग्राम दानवास में भी दर्ज किया गया है, जिसमें यह त्रुटि नहीं की गयी है। वाद के समर्थन में ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड व जमाबंदी ग्राम दानवास सं0 2070–73, सं0 2058–61 पेश है। वादी नं0 3 मंजूबाई खातेदार अमरा की जायन्दा औलाद है, इस कारण यह इस आराजी में खातेदार टीनेंट घोषित होने की अधिकारी है। साथ ही वादी नं0 1 का नाम ज्यानाबाई के स्थान पर जानकीबाई व वादी नं0 2 का नाम केसरबाई के स्थान पर समझबाई दुरूस्त किया जावे। वादीगण द्वारा उक्त दुरूस्त सही करने हेतु दि0 21.01.2019 को तहसीलदार सा0 खानपुर से कहने एवं उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की कहने से वाद कारण दि0 21.01.19 को उत्पन्न हुआ है। खातेदार नंदकंवर पत्नि अमरा फौत हो चुकी है, जिसके जायज वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौजूद हैं।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की सादर डिक्री फरमायी जावे कि ग्राम चलेट की जमाबंदी सं0 2071–74 की खाता सं0 63 की 2 किता रकबा 5.10 बीघा आराजी वादी नं0 3 मंजूबाई को संम्भाग में खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा वादी नं0 1 का नाम ज्यानाबाई के स्थान पर जानकीबाई व वादी नं0 2 का नाम केसरबाई के स्थान पर समझबाई घोषित किया जाकर नाम दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को अता फरमायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 1 लगा0 5 ने जर्ये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल नागर उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया। प्रति0नं0 6 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी जानकीबाई, मंजूबाई, समझबाई के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp8 प्रदर्श कराये गये। साथ ही वादीगण के आधार कार्ड की फोटो प्रति भी पेश की। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वादी पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम चलेट की 2 किता रकबा 5.10 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की है, जो खातेदार अमरा के फौत होने पर नामा0सं0 379 से वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते आयी है। इस नामा0सं0 379 को तस्दीक करते समय मृतक अमरा के वारीसान में से पुत्री मंजूबाई का नाम दर्ज नहीं किया तथा वादी नं0 1 जानकीबाई का नाम ज्यानाबाई, वादी नं0 2 समझबाई का नाम केसर दर्ज किया गया है जो गलत है। वहीं खातेदार अमरा के ग्राम दानवास में भी जमीन है यहां भी फौती नामा0 सं0 167 दर्ज किया गया है, जिसमें यह त्रुटि नहीं की गयी है। हमने अपने वाद के समर्थन में राजस्व रेकार्ड की नकलें, वादीगण के आधार कार्ड एवं ग्राम पंचायत बिशनखेड़ी का प्रमाण–पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण ने भी हमारे वाद को स्वीकार करते हुये इबकालिया जवाबदावा पेश किया है। इससे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी नं0 3 मंजूबाई को संम्भाग में खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा वादी नं0 1 का नाम ज्यानाबाई के स्थान पर जानकीबाई व वादी नं0 2 का नाम केसरबाई के स्थान पर समझबाई का नाम दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि वादीगण हमारी बहिनें हैं। हमें इनका दावा स्वीकार है। इसलिये हमने इकबालिया जवाबदावा पेश किया है। वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का भली प्रकार अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने ग्राम चलेट की 2 किता रकबा 5.10 बीघा आराजी में वादी नं0 3 मंजूबाई को संम्भाग में खातेदार टीनेंट घोषित करने तथा वादी नं0 1 का नाम ज्यानाबाई के स्थान पर जानकीबाई व वादी नं0 2 का नाम केसरबाई के स्थान पर समझबाई का नाम दुरूस्त करने का यह वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में अपने बयान दर्ज कराये हैं तथा Exp1 नकल जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम चलेट, Exp2 नकल जमाबंदी सं0 2055–58 ग्राम चलेट, Exp3 नकल नामा0सं0 379 ग्राम चलेट, Exp4 नकल जमाबंदी सं0 2070–73 ग्राम दानवास, Exp5 नकल जमाबंदी सं0 2058–61 ग्राम दानवास, Exp6 नकल नामा0सं0 167 ग्राम दानवास, Exp7 ग्राम पंचायत बिशनखेड़ी का प्रमाण–पत्र दि0 8.3.19 ज्यानाबाई के संबंध में, Exp8 ग्राम पंचायत बिशनखेड़ी का प्रमाण–पत्र दि0 8.3.19 केसरबाई के संबंध में तथा वादीगण के आधार कार्ड की फोटो प्रतियां पेश की हैं। साथ ही ग्राम पंचायत बिशनखेड़ी द्वारा दिनांक 4.7.19 को ज्यानाबाई, केसरबाई, मंजूबाई के संबंध में जारी फोटो युक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। उपरोक्त दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

के इकबालिया जवाबदावा से वादीगण का वाद बखूबी साबित है। ऐसे में वादीगण वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

अतः वादीगण का वाद साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम चलेट की जमाबंदी सं0 2071–74 की खाता सं0 63 की ख0नं0 302 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 436 की 5.00 बीघा कुल 2 किता रकबा 5.10 बीघा आराजी में वादी नं0 3 मंजूबाई को वादी नं0 1, 2 व प्रति0 1 लगा0 5 के साथ संम्भाग से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। साथ ही वादी नं0 1 का नाम ज्यानाबाई के स्थान पर जानकीबाई व वादी नं0 2 का नाम केसर के स्थान पर समझबाई दुरूस्त करने की आज्ञा पारित की जाती है। मृतक खातेदार नंदकंवर का नाम खाते से खारिज किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)